न्यायालय विशेष न्यायाधीश(विद्युत अधिनियम) / अपर सत्र न्यायाधीश, झांसी।

सत्र वाद सं०- 819/ 2021

सरकार बनाम लक्ष्मी प्रसाद

धारा- 138 भारतीय विद्युत अधिनियम,
थाना- एन्टी पावर थैफ्ट, जिला- झांसी।
मु०अ०सं० - 541/ 2019

आरोप

मैं, **आनन्द प्रकाश- तृतीय**, विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) / अपर सत्र न्यायाधीश, झांसी, आप अभियुक्त **लक्ष्मी प्रसाद** पर निम्न आरोप लगाता हूं-

यह कि दिनांक- 12. 12. 2019 को समय लगभग 11. 30 बजे, स्थान- ग्राम डिकौली, थाना- एरच, झांसी में वादी मुकदमा द्वारा अन्य विद्युत कर्मचारियों के साथ पूर्व में विद्युत बकायेदारों के विच्छेदित किये गये संयोजनों की विद्युत चैकिंग के दौरान आप अभियुक्त/ उपभोगकर्ता को बिना बकाया विद्युत बिल जमा किये पूर्व में विच्छेदित किये गये संयोजन को बिना विभागीय अनुमति के पुनः जोड़कर विद्युत का अवैध रूप से उपभोग करते हुए पाया गया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया है, जो धारा- **138 भारतीय विद्युत अधिनियम** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

अतएव आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त आरोप हेतु आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक–07. 03. 2025

(आनन्द प्रकाश- तृतीय)
विशेष न्यायाधीश(विद्युत अधिनियम) /
अपर सत्र न्यायाधीश झांसी।

उपरोक्त आरोप को अभियुक्त को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, अभियुक्त ने लगाये गये आरोप से इन्कार किया तथा विचारण चाहा।

दिनांक–07. 03. 2025

(आनन्द प्रकाश- तृतीय)
विशेष न्यायाधीश(विद्युत अधिनियम) /
अपर सत्र न्यायाधीश झांसी।